न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–08/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बलराम पुत्र लल्लू जाति राजकुम्हार,
2. रूपचन्द पुत्र लल्लू जाति राजकुम्हार निवासीयान ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..................अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर ।
3. नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. कैलाशपति पुत्र श्री पांचूराम जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... असल रेस्पोडेन्ट

5. श्रीमती कमलेश स्त्री ताराचन्द जाति राजकुम्हार,
6. प्रशान्त पुत्र ताराचन्द जाति राजकुम्हार नाबालिग
7. बासिक पुत्र ताराचन्द जाति राजकुम्हार,नाबालिग
8. पांरूल पुत्री ताराचन्द जाति राजकुम्हार नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती कमलेश स्त्री ताराचन्द जाति राजकुम्हार निवासीयान ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री रामेश्वरदयाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1 ल0 3

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.11.2017

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 1166 मिन रकबा 12 बिस्वा, 1169 रकबा 17 बिस्वा, 1272 रकबा 5 बिस्वा, 1273

मिन रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम रामबास तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जिसका हाल बन्दोबस्त ख0 नं0 941 रकबा 1.18 वाके ग्राम रामबास बना है । वादीगण के पिता मृतक लल्लू की कब्जे काश्त खातेदारी पट्टे की साबिक आराजी ख0 नं0 1166 मिन रकबा 12 बिस्वा, 1169 रकबा 17 बिस्वा, 1272 रकबा 5 बिस्वा व 1273 मिन रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम रामबास में थी जिस पर वादीगण के पिता जब तक जीवित रहे तब तक बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते रहे थे अर्थात वादीगण के पिता के फौत हो जाने पर यह विवादित आराजी वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है और बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । आज भी मौके पर हम वादीगण का कब्जा है लेकिन बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका हाल ख0 नं0 941 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा को गै0मु0 नला हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया जिस गलत इन्द्राज के हो जाने से मिन वादीगण के हक हकूक जायल होते हैं । अतः वादीगण को विवादित आराजी ख0 नं0 941 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा हाल इन्द्राज गै0मु0 नला को कलमजन किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी का वाद दि0 05.06.2015 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 05.06.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी साबिक के अपीलांट के पिता काबिज खातेदार काश्तकार थे तथा उनका ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । पिता के बाद मेरा कब्जा काश्त चला आ रहा है । हम मौके पर काश्त कर रहे हैं परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने रेकार्ड में आराजी को गैर मुमकिन नला दर्ज कर दिया है जो खिलाफ कानून व मौका है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिज खारिजी योग्य है ।

साबिक रेकार्ड व कब्जे के आधार पर वादी की खातेदारी दर्ज की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि0 5.6.2015 को निरस्त किया जावें ।

पैरोकार सरकार ने जवाब बहस में कहा कि विवादित आराजी गै0मु0 नला है जिस पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है । बन्दोबस्त से पूर्व भी अपीलांट खातेदार नहीं होकर केवल पट्टेदार थे जिन्हें किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय के निर्णय एवं साबिक रेकार्ड व हाल रेकार्ड का भी अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2022 के खाता सं0 485 के अनुसार साबिक ख0 नं0 1166 रकबा 12 बिस्वा, 1164 रकबा 17 बिस्वा के लल्लू पुत्र घीसाराम राजकुम्हार जाति पट्टेदार के रूप में अंकन है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 के अनुसार हाल ख0 नं0 941

रकबा 1.18 बीघा के अन्य साबिक ख0 नं0 1272 व 1273 मिन भी सामिल है जिसका कोई रेकार्ड साबिक पेश नहीं है । बन्दोबस्त के बाद सम्वत् 2060 की जमाबन्दी में हाल आराजी ख0 नं0 941 रकबा 1.18 बीघा सरकारी खाते में नदिया और नाले के रूप में दर्ज हैं तथा भूमि किस्म में गैर मुमकिन नला दर्ज है ।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादी/अपीलांट के पिता लल्लू एक पट्टेदार की हैसियत से दर्ज थे न कि एक खातेदार की हैसियत से । अतः वादीगण उक्त आधार पर किसी प्रकार की खातेदारी या दुरूस्ती कराने के अधिकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादीगण सही खारिज किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 05.06.2015 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर